

मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल- 462003

क्रमांक बी-4-02 / 2012 / 2 / पांच (15)

भोपाल दिनांक 30 मार्च, 2012

अधिसूचना

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ब-818-635-पांच.एस.आर दिनांक 24 फरवरी, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 79 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उसे प्रकाशित करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी में अनुच्छेद 1 में, टिप्पणी (8) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पणी अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :-

“(9) हक विलेखों के निक्षेप के प्रतिहस्तांतरण की लिखत पर, अधिकतम एक हजार रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रतिभूत रकम के 0.5 प्रतिशत की दर से रजिस्ट्रीकरण फीस उदगृहीत की जाएगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एन.के. जैने)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग

**GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
COMMERCIAL TAX DEPARTMENT
MANTRALAYA, VALLABH BHAWAN BHOPAL-4620004**

// NOTIFICATION //

No.F-B-4-02/2012/2/5, (15)

Bhopal, dated 30 March, 2012

In exercise of the powers conferred by section 79 of the Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this department's notification No. B-818-635-V S.R. dated 24th February, 1975 and publishes the same as required by Section 79 of the said Act, namely: -

AMENDMENT

In the said notification, in the Table of Registration Fees, in Article 1, after note (8), the following note shall be inserted, namely: -

"(9) Registration fees at the rate of 0.5 percent of the amount secured, subject to a maximum of one thousand rupees, shall be levied on an instrument of re-conveyance of deposit of title deeds."

**By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,**

30-3-12
(N.K. Jain)

Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh